सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 25, शुक्रवार, *शाके* 1942–जनवरी 15, 2021 *Pausa 25, Friday, Saka 1942-January 15, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 13, 2021

संख्या 700 :-राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम 19) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष नियम, 1968 में जो संशोधन प्रस्तावित करती है, उनका निम्नलिखित प्रारुप उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उससे संभवतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचनार्थ, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अवसान के पश्चात विचार किया जावेगा।

उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसी आपत्तियों या सुझाव शासन सचिव कला, साहित्य, संस्कृति एंव पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित किये जा सकेगें।

संशोधन का प्रारुप

अनुसूची -IV

भाग-(क) नियम 12 के अधीन संदेय फीस

संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों में प्री एवं पोस्ट वेडिंग शूटिंग हेतु प्रवेश शुल्क निम्नानुसार संदेय होगा-

क्र.स.	स्मारक का नाम	शुल्क एवं समय (कार्यालय समय में लागू)	शुल्क एवं समय (कार्यालय समय के पूर्व एवं कार्यालय समय के पश्चात् में लागू)	अमानत राशि
1	जयपुर स्थित स्मारक आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, जन्तर-मन्तर, हवामहल, नाहरगढ़, विधाधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, ईसरलाट	5000 रुपये प्रति 2 घंटे	15000 रुपये प्रति 1 घंटे	25 प्रतिशत
2	विभागाधीन अन्य स्मारक/संग्रहालय	5000 रुपये प्रति 2 घंटे	15000 रुपये प्रति 1 घंटे	25 प्रतिशत

यह संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

श्री ललित भगत,
शासन उप सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।